



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2019 / 00250(131 / 2019)

दर्ज तिथि:-05.11.2019

1. जालाराम वल्द सोनाराम
2. गुणेशाराम वल्द सोनाराम
3. देदाराम वल्द खेताराम
4. पेम्पोदेवी पत्नी अचलाराम

जाति जाट निवासी आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।
.....वादी

बनाम

1. पदमाराम वल्द दयाराम
2. टुगीदेवी पत्नी जालाराम
3. तहसीलदार नोखड़ा।

जाति जाट निवासी आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादी

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालुराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-28.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 738 / 35.2885 है0 मौजा आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह



विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

- वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण के हाजिर न्यायालय नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् वादी अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 06.06.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/91 दिनांक 17.02.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/91 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा राजस्थान काशतकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 22.01.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 693-699 दिनांक 13.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 693-699 दिनांक 13.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

- प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल

प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 738/35.2885 है0 मौजा आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफ्त में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफ्त में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 738/35.2885 है0 मौजा आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
देदाराम पुत्र खेताराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन-एक्सिस बैंक शाखा बाड़मेर	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738 738	9.000 2.7629	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 11.7629 है0				
टूगीदेवी पत्नी जालाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9209	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9209 है0				
जालाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9210	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9210 है0				
गुणेशाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन-आरएमजीबी शाखा होडू	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9210	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9210 है0				
पेम्पों पत्नी अचलाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9209	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9209 है0				
दुर्गाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9209	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9209 है0				
पदमाराम पुत्र दयाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9209	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9209 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।





न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2021 / 175(67 / 21)

दर्ज तिथि:-03.08.2021

1. देवाराम पुत्र ताजाराम
जाति मेगवाल निवासी गुरुओं का तला तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

1. डालुराम पुत्र उदाराम
2. ठाकराराम पुत्र उदाराम
3. वालाराम पुत्र उदाराम
4. सजनीदेवी पत्नी उदाराम
5. रिड़मलराम पुत्र रेशमाराम
6. कौशलाराम पुत्र रेशमाराम
7. तुलसाराम पुत्र रेशमाराम
8. करनाराम पुत्र रेशमाराम
9. देदाराम पुत्र रेशमाराम
10. इन्द्रादेवी पत्नी रेशमाराम
11. विशनाराम पुत्र ताजाराम
12. नेनाराम पुत्र ताजाराम
13. गेनाराम पुत्र ताजाराम
14. जोगाराम पुत्र पनाराम
15. जेताराम पुत्र पनाराम
16. अणसीदेवी पत्नी पनाराम
17. मूलाराम पुत्र बागाराम
जाति मेगवाल निवासी गुरुओं का तला तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

18. तहसीलदार नोखड़ा।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री रिड़मलराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

—:पर्चा डिक्री:—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 738/35.2885 है0 मौजा आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
देदाराम पुत्र खेताराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन-एक्सिस बैंक शाखा बाड़मेर	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738 738	9.000 2.7629	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 11.7629 है0				
टूगीदेवी पतनी जालाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9209	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9209 है0				
जालाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9210	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9210 है0				
गुणेशाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन-आरएमजीबी शाखा होडू	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9210	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9210 है0				
पेम्पों पत्नी अचलाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9209	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9209 है0				
दुर्गराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9209	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9209 है0				
पदमाराम पुत्र दयाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	738	3.9209	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.9209 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी हैं तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

